

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] No. 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2004/पौष 16, 1925

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2004/PAUSA 16, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

परिवर्धन

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2004

सं. आर टी-25014/2/2002-स.सु.प्र.—भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिनांक 24 अप्रैल, 2003 के संकल्प संख्या 106 के पृष्ठ 1 पर मद के सरकारी सदस्य के अंतर्गत :—

- (i) 12वीं पंक्ति में क्रम संख्या (1), ''सड़कं परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)'' शब्दों के स्थान पर ''सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री'' प्रतिस्थापित किए जाएं।
- (ii) क्रम संख्या (1), 12वीं पंक्ति के बाद एक नई प्रविष्टि शामिल की जाएगी, अर्थात् :—
 ''क्र. सं. (1क), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री —1—सदस्य''

आलोक ग्रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ROAD SAFETY CELL)

ADDENDUM

New Delhi, the 6th January, 2004

No. RT-25014/2/2002-RSC.—In the resolution of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. 106 dated the 24th April, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, at page 4, under Item A Official Members,—

- in lines 12 and 13, in entry at S.No. (1) for the words "Minister of State (I/C) for the Ministry of Road Transport and Highways", the words "Minister for Road Transport and Highways." shall be substituted;
- (ii) After line 13, below S.No. (1), a fresh entry, as under shall be inserted, namely:—
 - "S.No. (1A) Minister of State for the Ministry of Road Transport and Highways—1—Member"

ALOK RAWAT, Jt. Secy.